भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1299

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संस्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाना

1299 श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2013 में आयोजित मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संस्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाने संबंधी संकल्प पारित किए जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संस्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? -

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों के 07.04.2013 को हुए संयुक्त सम्मेलन में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 25% बढ़ाने का विनिश्चय किया गया था । तद्नुसार 01.07.2014 से 22.07.2022 की अवधि के दौरान भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित उच्च न्यायालयों की क्रमशः राज्य सरकारों के अनुमोदन से, सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद की स्वीकृत संख्या को 906 से बढ़ाकर 1108 कर दिए गए है, अर्थात् 202 पद बढ़ा दिए गए है ।

****